संख्या-20/2024/001-17-22-4-2024

प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष-2023-24 के कार्ययोजना में स्वीकृत विभिन्न कारागारों में विभिन्न निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-607/नम-3/कार्य योजना/2023-24, दिनांक-03-01-2024, पत्र संख्या-608/नम-3/कार्य योजना/2023-24, दिनांक-03-01-2024, पत्र संख्या-888/नम-3/कार्य योजना/2023-24, दिनांक-05-01-2024 एवं पत्र संख्या-887/नम-3/कार्य योजना/2023-24, दिनांक-05-01-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में अलग-अलग 18 निर्माण कार्यों हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित कुल लागत रू0 **4865.11** लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 4865.11 लाख (रूपया अड़तालीस करोड़ पैंसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	**कारागार का नाम**	**कार्य का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**लागत की धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जाने वाली की धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	जिला कारागार, उरई	30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) (कुल 60 क्षमता) का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	213.70	213.70
2	जिला कारागार, मऊ	30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	367.61	367.61
3	केन्द्रीय कारागार,	30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल)	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी	178.17	178.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	बरेली	(कुल 60 क्षमता) का निर्माण	संघ लि0 (पैक्सफैड)		
4	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	प्रथम चक्र 06 पुरानी बैरकों के स्थान पर 30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	343.42	343.42
5	जिला कारागार, बस्ती	पुरानी बैरक संख्या-2 के स्थान पर 30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) (कुल 60 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	278.23	278.23
6	जिला कारागार, फतेहपुर	30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) (कुल 60 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	183.14	183.14
7	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	388.16	388.16
8	जिला कारागार, वाराणसी	उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	227.12	227.12
9	जिला कारागार, मेरठ	30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	365.79	365.79
10	जिला कारागार, मैनपुरी	30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) (कुल क्षमता 60) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	164.20	164.20
11	जिला कारागार, मैनपुरी	उच्च सुरक्षा बैरक 12 बंदी क्षमता मय इन्क्लोजर वॉल सहित का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	259.01	259.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	जिला कारागार, बुलन्दशहर	उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता) इक्लोजरवॉल सहित का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	327.85	327.85
13	जिला कारागार, बुलन्दशहर	30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) (कुल क्षमता 60) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	173.34	173.34
14	जिला कारागार, भदोही	30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) (कुल 60 क्षमता) का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	223.44	223.44
15	जिला कारागार, अयोध्या	30 क्षमता की 04 नग बैरक (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	361.65	361.65
16	जिला कारागार, बांदा	उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता इन्क्लोजरवॉल सहित का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	310.71	310.71
17	जिला कारागार, गाजीपुर	उच्च सुरक्षा बैरक (12 क्षमता) का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	260.12	260.12
18	जिला कारागार, कौशाम्बी	30 क्षमता की 02 नग बैरक (01 नग भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता का निर्माण	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	239.45	239.45
		योग		**4865.11**	**4865.11**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा आवश्य कता/नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्वियेरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा ।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।

(10) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(11) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का प्रशिक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) निर्माणकार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(15) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 48,65,11,000 (रुपये अड़तालीस करोड़ पैंसठ लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510300 कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19-09-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://

संख्या-20/2024/001-17-22-4-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) लखनऊ।

(4) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।

(5)जिलाधिकारी, उरई, मऊ, बरेली, फर्रूखाबाद, बस्ती, फतेहपुर, वाराणसी, मेरठ, मैनपुरी, बुलन्दशहर, भदोही, अयोध्या, बांदा, गाजीपुर एवं कौशाम्बी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार उरई, मऊ, बस्ती, फतेहपुर, वाराणसी, मेरठ, मैनपुरी, बुलन्दशहर, भदोही, अयोध्या, बांदा, गाजीपुर, कौशाम्बी, एवं केन्द्रीय कारागार बरेली, फतेहगढ़, वाराणसी, ।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(10) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2

(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।